भाग 4 (ग)

अन्तिम नियम

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मार्च, 1998

क्र. एफ 23–75–97–पच्चीस–चार–"डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर स्मृति सम्मान पुरस्कार नियम, 1997".–यह पुरस्कार प्रति वर्ष डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल को स्मृति दिवस के रूप में दिया जायेगा,जिसकी राशि रूपये एक लाख होगी. यह सम्मान उस गैर–शासकीय संस्था या व्यक्ति को दिया जायेगा, जिसने डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन दर्शन के अनुरूप समाज में शोषित वर्ग के अनुसूचित जाति के लिये समानता व सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिये कार्य किया हो. यह पुरस्कार प्रति वर्ष मऊ में स्थापित डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान के तत्वाधान में दिया जायेगा.

1. **शीर्षक** – यह नियम मध्यप्रदेश डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्मृति सम्मान पुरस्कार नियम, 1997 कहलायेंगे और दिनांक 1 अप्रैल 1997 (वर्ष 1997–98) से प्रभावशील होंगे

2. **विस्तार क्षेत्र** – सम्पूर्ण भारत होगा

3. **चयन के मापदण्ड** – पुरस्कार के लिये चयन हेतु निम्नांकित मापदण्ड रहेंगे :–

   (1) पुरस्कार के लिये जूरी का गठन किया जायेगा जो बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों के अनुरूप समाज में शोषित वर्ग के सामाजिक उत्थान एवं बदलाव के क्षेत्र में दीर्घकाल से देश की ऐसी गैर–शासकीय संस्था या व्यक्ति का चयन करेंगी जिसका भूतकालिक कार्य उत्कृष्ट रहा है और जो वर्तमान में भी इस क्षेत्र में निरन्तर सक्रिय है.

   (2) ऐसा व्यक्ति या ऐसी गैर–शासकीय संस्था का कोई पदाधिकारी जूरी का सदस्य नहीं होगा जिसने पुरस्कार प्राप्त करने हेतु प्रविष्टि दी है.

   (3) समाज में शोषित वर्ग के सामाजिक उत्थान एवं बदलाव के क्षेत्र में पूर्व में कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त गैर–शासकीय संस्था या व्यक्ति भी इस पुरस्कार के लिये पात्र होंगे बशर्ते की ऐसा व्यक्ति या ऐसी संस्था समस्त अर्हताओं की पूर्ति करती हो

   (4) पुरस्कार के लिये गैर–शासकीय संस्था या व्यक्ति के भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के कार्य का आंकलन होगा.

   (5) गैर–शासकीय संस्था/व्यक्ति से इस बात का प्रमाण प्रस्तुत होने पर कि उसने बाबासाहेब आम्बेडकर के जीवन दर्शन के आधार पर समाज के शोषित वर्ग के सामाजिक उत्थान एवं बदलाव के क्षेत्र में दीर्घ कार्य किया है और अब भी इस दिशा में सक्रिय है अर्थात् पुरस्कार केवल भूतकालिक कार्य के आधार पर ही नहीं मिलेगा. उसके लिये कार्य की परिणाम मूलक निरन्तरता आवश्यक है.

   (6) गैर–शासकीय संस्था/व्यक्ति के योगदान का संबंधित कार्य क्षेत्र में दलित लोगों के जीवन में व्याप्त प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए.

   (7) संस्थान/व्यक्ति को यह बताना होगा कि परम्परागत तौर तरीके से अलग हटकर नवाचार अर्थात नई पद्धति, नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया.

   (8) जूरी अथवा उसके द्वारा किसी अधिकृत सदस्य अथवा व्यक्ति द्वारा गैर–शासकीय संस्था/व्यक्ति की समस्त गतिविधियों का प्रत्यक्ष आंकलन करने हेतु गैर–शासकीय संस्था/व्यक्ति की लिखित सहमति देनी होगी तथा सर्वदा निर्विवाद एवं समुचित प्रमाणों से परिपुष्ट उत्थान कार्य पर ही जूरी द्वारा विचार होगा.

4. **जूरी का गठन एवं उसकी शक्तियां**– पुरस्कार के लिये गैर–शासकीय संस्था/व्यक्ति के चयन हेतु मध्यप्रदेश शासन (अनुसूचित जाति कल्याण विभाग) द्वारा संबंधित पुरस्कार वर्ष के लिये जूरी के रूप में एक पैनल गठित किया जायेगा. तत्संबंधी प्रावधान निम्नानुसार है :–

   (1) जूरी में न्यूनतम तीन और अधिकतम छः सदस्य होंगे, जो राज्य शासन द्वारा मनोनीत किये जायेंगे.

   (2) समाज के विभिन्न कार्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रख्यात व्यक्ति जूरी के सदस्य होंगे.

   (3) जूरी द्वारा किया गया चयन अंतिम एवं शासन के लिये बंधनकारी होगा.

(4) सामान्यतः पुरस्कार के लिये एक गैर–शासकीय संस्था या एक व्यक्ति का चयन होगा, किन्तु जूरी आवश्यक समझेगी तो वह पुरस्कार के लिये दो गैर–शासकीय संस्थाओं या व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगी और तद्नुसार उन्हें पुरस्कार की नगद राशि समान रूप से प्रदान की जाएगी.

(5) अवार्ड के समस्त कार्य के लिये माननीय सदस्यों को आमंत्रित किये जाने पर, उन्हें राज्य के प्रथम श्रेणी अधिकारी के समान रेलगाड़ी/वायुयान से यात्रा करने और यात्रा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा.

5. **चयन प्रक्रिया**– पुरस्कारों के लिये उपयुक्त गैर शासकीय संस्था या व्यक्ति के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी–

(1) प्रति वर्ष माह अगस्त से दिसम्बर माह के मध्य जानकारी/प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू द्वारा प्रमुख राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार–पत्र/पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा. जानकारी उपलब्ध कराने के लिये कम से कम एक माह का समय दिया जाएगा.

(2) उक्त विज्ञापन के अलावा, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय/अन्य सभी राज्य सरकारों/राष्ट्रीय संस्थाओं/प्रतिष्ठित विशेषज्ञों एवं संस्थानों की जानकारी में डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर के विचारों के अनुरूप कार्यरत संस्थाओं को संस्थान द्वारा पत्र लिखकर पुरस्कार हेतु प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे.

(3) विज्ञापन अथवा उक्त कंडिका (2) की प्रविष्टि/जानकारी राज्य शासन को निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाएगी :–

1. संस्था/व्यक्ति का पूर्ण परिचय
2. सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलितों के उत्थान के लिये उसके द्वारा किये गये कार्यों की विस्तृत जानकारी.
3. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण
4. उसके उत्कृष्ट कार्य के विषय में कोई प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया हो तो उसका विवरण तथा प्रकाशित प्रतिवेदन की एक–एक प्रति.
5. सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलितों के उत्थान के क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात व्यक्तियों एवं पत्र पत्रिकाओं आदि द्वारा की गई टिप्पणियों की फोटो प्रतियां/सत्य प्रतिलिपियां.

(4) इन मापदण्डों की पूर्ति करने वाली ऐसी संस्था/व्यक्ति भी विचाराधीन वर्ष के पुरस्कारों के लिये प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकेंगे जिसने विगत वर्षों में प्रविष्टि भेजी थी किन्तु जिसका चयन नहीं हो पाया था.

(5) प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य प्रश्नात्पर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं होगी.

(6) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा, इसका सत्यापन डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू द्वारा किया जायेगा. इस मामले में राज्य शासन किसी विवाद में पक्ष नहीं माना जाएगा.

(7) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों की प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में संबंधित पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में पंजीकृत किया जाएगा :–

पंजीयन क्रमांक	संस्था/व्यक्ति का नाम एवं पता	प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का नाम एवं संस्था में पदेन स्थिति	प्राप्त कागजातों के कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(8) पंजीयन के पश्चात् डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में "जूरी" की बैठक के लिये संक्षेपिका 15 जनवरी तक तैयार कर संचालक, अनुसूचित जाति विकास के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी :–

1. संस्था/व्यक्ति का नाम एवं पता.
2. संस्था/व्यक्ति की ओर से प्रस्तावक का नाम एवं पद (संस्था/व्यक्ति की गतिविधियों से संलग्न कोई भी व्यक्ति प्रस्तावक हो सकता है, यदि अन्यथा प्रस्ताव प्राप्त हो, तो संस्था की अनुशंसा से उसे मान्य किया जा सकेगा).
3. संस्था/व्यक्ति का संक्षिप्त परिचय.
4. सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलितों के उत्थान हेतु किए गये कार्य की विस्तृत उपलब्धियां.
5. प्राप्त पुरस्कार.
6. प्रमाण/सम्मतियां.
7. संस्था/व्यक्ति के बारे में प्रकाशन.
8. पुरस्कार ग्रहण करने बाबत् सहमति भेजी है अथवा नहीं.

6. **पुरस्कार वितरण समारोह** – राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह प्रति वर्ष निश्चित स्थान पर डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल को आयोजित होगा जिसमें भाग लेने के लिये चयनित व्यक्ति या गैर शासकीय संस्था के एक पदाधिकारी एवं जूरी के सदस्यों को "राज्य अतिथि" के रूप में आमंत्रित किया जाएगा. चयनित व्यक्ति या गैर शासकीय संस्था के पदाधिकारी को यात्रा व्यय स्वयं वहन करना होगा.

7. **व्यय एवं वित्तीय शक्तियां** – पुरस्कार एवं पुरस्कार वितरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय के पूर्ण अधिकार महानिदेशक, डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू को रहेंगे.

8. **नियमों की व्यवस्था**–इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की व्याख्या अधिकृत मानी जाएगी तथा इस पुरस्कार के संबंध में अन्य ऐसे मामले भी जो इन नियमों में समाहित नहीं हैं, उन्हीं के द्वारा अंतिम रूप से निराकृत होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
उमेश सक्सेना प्रमुख सचिव